

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
 वनादेश 91 / 1-12(5)(HRD) देहरादून दिनांक 30 जून, 2022

पदोन्नति आदेश

उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग-1 के पत्र संख्या 817/GEN/X-1-2022-04(02)/2021, दिनांक 30.06.2022 एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 417/07/ई-4/डी0पी0सी0/2022-23, दिनांक 30.06.2022 द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में चयन वर्ष 2021-22 की रिक्ति के सापेक्ष सारणी में अंकित उप वन क्षेत्राधिकारी को वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 रु0 35,400-1,12,400/- से वन क्षेत्राधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 रु0 47,600-1,51,100/- में तत्काल प्रभात से कार्यभार गठण करने की तिथि से एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है-

चयन वर्ष 2021-22

क्र. सं.	उप वन क्षेत्राधिकारी का नाम	वर्तमान में तैनात कार्यालय का नाम
1	2	3
1	केवलानन्द पाण्डे	सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2	रमेश चन्द्र जोशी	चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
3	रवीन्द्र कुमार	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।
4	हरीश गौरोला	चकराता वन प्रभाग, कालसी।
5	महेश चन्द्र जोशी	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
6	बृज मोहन टम्टा	चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
7	नवीन चन्द्र जोशी	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
8	हर्षराम उनियाल	टिहरी डैम-1, वन प्रभाग, नई टिहरी।
9	गोविन्द सिंह भण्डारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।
10	अजय कुमार ध्यानी	लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

1. संबंधित कर्मचारी एक सप्ताह के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा यह मान लिया जायेगा कि संबंधित कार्मिक द्वारा पदोन्नति का परित्याग कर दिया गया है। परित्याग की स्थिति में कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अग्रततर कार्यवाही की जायेगी।

2. उक्त पदोन्नत कार्मिक अपने तैनाती प्रभाग में ही पदोन्नति के पद पर योगदान देंगे। तत्पश्चात यथास्थिति, संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यक्षेत्र में रिक्त पदों एवं कार्य की आवश्यकतानुसार यदि आवश्यक हो तो अलग से तैनाती आदेश करेंगे। इस सन्दर्भ में शासन की पत्र संख्या 2177/X-1-2013-04(13)/2006, दिनांक 05.09.2013 में उल्लिखित बिन्दुओं/निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। कार्मिकों के अन्तरमण्डलीय स्थानान्तरण की आवश्यकता होने पर सुस्पष्ट प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किये जाये। यह सम्पूर्ण कार्यवाही 15 दिन के अन्तर्गत करते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

3. कर्मिकों की पदोन्नति पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को कर्मचारी के योगदान/परित्याग के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

(विनोद कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 2201 / 1-12(5) तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/निदेशक उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ✓ 2. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0जी0सी0, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड में अपलोड करने हेतु।
3. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस आदेश की प्रति सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारियों का शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

(विनोद कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 2201 / 1-12(5) तददिनांकित।

प्रतिलिपि-1. उप सचिव, वन अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, को शासकीय संख्या 817/GEN/X-1-2022-04(02)/2021, दिनांक 30.06.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-2. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को उनके पत्र संख्या 417/07/ई-4/डी0पी0सी0/2022-23, दिनांक 30.06.2022 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।